फर्द अहकाम

न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

संख्या :–230/2020

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	रामश्वेर प्रसाद बनाम प्रभुदयाल आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
05.02.2021	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान वकील उपस्थित हैं पक्षकारान वकील की बहस सुनी गई बहस पर गोर किया गया तो वकील वादी ने दावा व जवाबदुल जवाब मे काउन्टर क्लेम का समर्थन करते हुये कथन किया कि वादीगण राजस्व रिकार्ड में रजिस्ट्रर विकय पत्र के आधार है जो जमीन कय करने से पूर्व वादग्रस्त भूमि पर विकेता का कब्जा था विकेता द्वारा वादीगण की वादग्रस्त भूमि देखने के बाद वादीगण का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादीगण को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सके न ही प्रतिवादीगण का मोके पर कब्जा है बिना कब्जे के आधार पर दावा काबिले खारिज है। अतः वादीगण रजिस्ट्रर विकय पत्र के आधार पर रिकार्ड में आये है व कय की तब से निरन्तर वादीगण का कब्जा काश्त होने से वादीगण अपने भूमि का तकासमा कराने के अधिकारी है अतः प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज फरमा कर प्राप्त कुरेजात अनुसार दावा वादी डिकी फरमाया जावें। वकील प्रतिवादी के जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम का समर्थन करते हुये कथन किया कि प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि पर शुरू से ही काबिज चले आ रहे है। पहले प्रतिवादीगण के पूर्वज व अब प्रतिवादीगण काबिज काश्त हैं प्रतिवादीगण एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण के मुकाबले कब्जे के आधार पर विकय पत्र शून्य व निस्प्रभावी है। अतः वादीगण का दावा खारिज फरमाया जावें व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को खातेदारी घोषित फरमाया जावें। पक्षकारान वकील की बहस पर मनन किया व दावा जवाब दावा एवं मय काउन्टर क्लेम एवं प्रस्तुत पत्रावली में दस्तावेजात का सघन निरीक्षण किया गया। तनकी नंबर 1 आया वादी कथित विकय पत्र के आधार पर तकासमा करने का अधिकारी नही है। जबकि प्रतिवादी संख्या 5/2 व 6/2 के मुकाबले तथा कथित विकय पत्र प्रारम्भ से ही शून्य व निष्भावी है। तथा प्रतिवादी संख्या 5/2 व 6/2 का वादग्रस्त आराजी पर एडवर्स पजेशन के आधार पर काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है। तनकी नंबर 1 इस तनकी साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 5/2 व 6/2 पर जो वादग्रस्त भूमि का पहले राजेन्द्र प्रसाद पुत्र नारायण निवासी श्यामनगर जयपुर के खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज थे। राजेन्द्र प्रसाद को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने व उसके नाम खातेदारी होने का कब्जा काश्त होने के आधार पर अपनी खातेदारी भूमि को पृथक पृथक तीन विकय पत्र दिनांक 01.01.2016, 01.01.2016, 07.01.2016 के द्वारा विकय रामेश्वर प्रसाद मामोडिया, अनोखी देवी पत्नि रामेश्वर मामोडिया व प्रशान्त पुत्र रामेश्वार मामोडिया को विकय कर मौके पर विकय करते ही विकयशुदा भूमि का कब्जा केताओं को मोके पर संभला दिया तब से अन्य केतागण उक्त विकय पत्रों के आधार पर अपने हक में नामान्तकरण खुलवाकर राजस्व रिकार्ड में खातेदार की हैसियत से वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त है, अन्य कब्जा केतागण को संभला बाबत् विकय पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि	

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

C:\Users\Lenovo\Downloads\rameshwar vs prabhudhyal.docx

Scanned with CamScanner

केतागण को वास्तविक रूप से मौके पर कब्जा संभला दिया गया है। जब से वादग्रस्त भूमि पर वादीगण काबिज थे वह इसे पूर्व विकेता वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त था। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर किस आधार पर काबिज था, इस बाबत् किसी प्रकार का दस्तावेज पेश नही किया जिसमें यह साबित हो सके की प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर कब काबिज रहे या नही प्रतिवादी द्वारा कथित विकय पत्रों को निरस्त कराने की कोई कार्यवाही भी नही की गई। रजिस्टर्ड विकय पत्रों को बिना निरस्त करवाये प्रतिवादी खातेदार अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है, क्योकि रजिस्टर्ड विकय पत्रों को निरस्त करने का इस न्यायालय को अधिकार नही है। इस प्रकार प्रतिवादीगण मोके पर यह काबिज काश्त नही होने वह कब्जा साबित नही कर पाने एवं बिना रजिस्टर्ड विकय पत्र निरस्त कराये जाने एवं वादीगण का मौके पर कब्जा होने, रजिस्टर्ड विकय पत्रों के द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त होने से प्रतिवादीगण उक्त तनकी को साबित कर पाने में सफल नही होने से तनकी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है, व प्रतिवादीगण के खिलाफ तय की जाती है।

इस प्रकार तनकी प्रतिवादीगण के खिलाफ तय होने से प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाकर दावा वादीगण मुताबिक कुरेजात डिकी किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाने से वादीगण का वाद मुताबिक कुरेजात अनुसार डिकी किया जाकर वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम चाकसू पश्चिम के खसरा नंबर 10832 रकबा 0.17 है0, 10838 रकबा 0.25 है0, 10839 रकबा 0.30 है0, 10840 रकबा 0.16 है0, 10848 रकबा 0.17 है0, 10842 रकबा 0.14 है0, 10843/1 रकबा 0.21 है0, 10844/1 रकबा 0.17है0, 10837/1 रकबा 0.24 है0, 10833/1 रकबा 0.16 है0, 10457/1 रकबा 0.05 है0, किता 11 रकबा 2.02 है0 भूमि रामेश्वर प्रसाद मामोडिया पुत्र लक्ष्मीनारायण मामोडिया हिस्सा 72/202, अनोखी देवी पत्नि रामेश्वर प्रसाद मामोडिया हिस्सा 105/202, प्रशान्त मामोडिया पुत्र रामेश्वर प्रसाद मामोडिया हिस्सा 25/202 जाति महाजन सा. देह के खाते में रहेगी। व खसरा नंबर 10843/2 रकबा 0.02 है0, 10844/2 रकबा 0.20 है0, 10837/2 रकबा 0.04 है0, 10833/2 रकबा 0.03 है0, 10457/2 रकबा 0.37 है0, 10446 रकबा 0.28 है0, 10454 रकबा 0.34 है0, 10455 रकबा 0.10 है0, 10456 रकबा 0.20 है0, 10458 रकबा 0.30 है0, 10459 रकबा 0.06 है0, 10460 रकबा 0.47 है0, 10461 रकबा 0.19 है0, 10485 रकबा 0.25 है0, 10487 रकबा 0.50 है0, 10488 रकबा 0.62 है0, 10834 रकबा 0.23 है0, 10836 रकबा 0.05 है0 किता 18 रकबा 4.06 है0 भूमि प्रभुदयाल, रामजीलाल, रामकिशोर, प्रकाश पिता कानाराम हिस्सा 101/406, छोटू, जगदीश पिता सूजा हिस्सा 203/406 भगवान सहाय पुत्र बच्चू हिस्सा 51/406 जाति खटीक सा.देह राधेश्याम पुत्र रामनिवास हिस्सा 51/406 जाति बैरवा निवासी लखेसरा तहसील सांगानेर के खाते में रहेगी व इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। निर्णय अनुसार डिकी जारी हो निर्णय व डिकी के नक्शे कुरेजात जू. जू. रहेगे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

Scanned with CamScanner